न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 409/2010

सुब्बा पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. खुर्शीद पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

असल प्रतिवादी

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी
श्री सतीश बुन्देला वकील प्रतिवादी संख्या 1

दिनांक :– 06/05/2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 281/0.43, बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है आराजी पहले वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मुंशी पुत्र निजरू की कब्जे काश्त व खातेदारी थी मुंशी के तीन पुत्र रूस्तम,सुब्बा, खुर्शीद हुये जिनमें से रूस्तम मुंशी की जिन्दगी में फौत हो गया था रूस्तम के दो पुत्र नबाब व सहाबू हुये इस प्रकार मुंशी के देहान्त के पश्चात उसकी आराजी खसरा नम्बर 281/0.43 एवं मुंशी की समस्त आराजीयत पर सुब्बा 1/3 हिस्सा पर खुर्शीद 1/3 हिस्सा पर व रूस्तम के दो लडके नबाब व सहाबू 1/3 हिस्से के विरासतन खातेदार काश्तकार बने और सभी अपने हिस्से के मुताबिक मनबट के हिसाब से काश्त करते रहे । सन् 2005 में वादी व प्रतिवादी के पिता मुंशी की समस्त आराजी के विभाजन हेतु एक दावा प्रतिवादी खुर्शीद द्वारा वादी मुंशी व अन्य हिस्सेदारो के खिलाफ न्यायालय श्रीमान एस0डी0ओ0साहब कामाँ के न्यायालय में पेश किया गया जो वाद में चलकर इस दावा में आपसी सहमति से विभाजन हेतु पुराने मन बट के हिसाब से चले आ रहे कब्जे के आधार पर कुर्रे बनाये गये जिनमें अन्य आराजीयात के साथ खसरा नम्बर 281/0.43 में से 0.15 एयर आराजी वादी सुब्बा के हिस्से व बट में आई और शेष 0.28 एयर आराजी प्रतिवादी खुर्शीद के हिस्से व बट में आई और न्यायालय की डिक्री में आराजी खसरा नम्बर 281 का बटवारा इसी प्रकार से किया गया और इसी प्रकार खसरा नम्बर 281 की खातेदारी मुताबिक डिक्री श्रीमान

उपखण्ड अधि...

Scanned with OKEN Scanner

एस0डी0ओ0 साहब दर्ज की गई। विवादित आराजी खसरा नम्बर 281 में काफी अरसे पूर्व से ही वादी व प्रतिवादी के अलग–अलग नौहरे एवं चाह कुंआ पुख्ता बना चला आ रहा है और यह कुंआ बंटवारे के समय से बहुत समय पूर्व से ही वादी व प्रतिवादी द्वारा बनाया गया था और शुरू से ही पिता की मृत्यु के पश्चात यह आराजी वादी व प्रतिवादी के हिस्से में चली आ रही थी और दोनो ने मिलकर आधे–आधे पैसे लगाकर सम्मलित रूप से कुंआ बनाया था और वादी एवं प्रतिवादी दोनो ही उक्त कुंआ से अपने खेतो की सिंचाई करते चले आ रहे है और दोनो ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन भी सिंचाई हेतु लिया है। प्रतिवादी द्वारा सन् 2005 में विभाजन हेतु पेश किये गये दावे मे कुरें बनाते समय वादी व प्रतिवादी के पुराने कब्जे के आधार पर यह स्पष्ट उल्लेख नहीं हो पाया है कि वादी के हिस्से में आया हुआ रकबा 0.15 एयर किस दिशा में रहेगा और प्रतिवादी के हिस्से में आया हुआ रकबा 0.28 एयर किस दिशा में रहेगा विवादित नौहरे में जो कुआ वादी व प्रतिवादी द्वारा बनाया हुआ है स्थित है उक्त कुंआ के बाबत भी पूर्व में पेश किये गये दावे में कोई जिक्र नहीं हो सका । जबकि यह कुंआ विवादित आराजी में स्थित हैं और वादी व प्रतिवादी इस कुंआ में आधे–आधे हिस्से के हिस्सेदार है। प्रतिवादी नं0 1 के दिल में बदयान्ती आ गई है और वह आराजी व कुंआ पर कब्जा करने की फिराक में है और विवादित आराजी व उसमें बने कुंआ को बेचान करने की फिराक में है जिसकी धमकी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21/10/2009 को वादी को दी गई जिसका की प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो वादी को अजीम नुकसान होगा । यही वजह विवादित आराजी व उसमें बने कुंआ के इस्तकरार हक एवं विभाजन हेतु स्थायी आदेश हेतु यह दावा न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। विनाय मुखास्मत दिनांक 10/09/2010 को प्रतिवादी द्वारा वादी को ऐलानिया धमकी देने से हक नालिश हासिल हुआ हैं। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नबर 281/0.43 में से 0.15 एयर भूमि का कुरा वादी के पुराने कब्जे के आधार पर एवं 0.28 एयर का कुरा प्रतिवादी के पुराने कब्जे के आधार पर बनाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी को अलग–अलग बटे नम्बर डालकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जावें एवं विवादित कुंआ पर वादी को काश्त करने से न रोके एवं किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और कुंआ में से वादी को अपने हिस्से के मुताबिक सिंचाई करने में कोई बाधा उत्पन्न ना करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये ।उसके विरूद्ध एकपक्षीय र्कावाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय में मय वकील उपस्थित आया। जबाब इस आशय का पेश किया कि वादी ने यह दावा प्रतिवादी के हिस्से की आराजी व अपनी लागत से बनाये गये पुख्ता कुंआ को हडपने की गरज से गलत तथ्य अंकित कर पेश किया है। वादी के पिता मुंशी के तीन पुत्र क्रमशः रूस्तम , वादी सुब्बा व प्रतिवादी खुर्शीद हुये जो उनके जीवनकाल में उनके साथ सामिल रहकर अपनी समस्त कृषि भूमि को सम्मलित रूप से काश्त करते रहे जिनमें से रूस्तम सन् 1990 में फौत हो गया है उनके वारिसान नबाब व सहाबू भी उनके साथ सामिल रहकर काश्त करते रहे वादी काफी होशियार व चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने माह जून 1994 में वादी एवं प्रतिवादी के पिता की समस्त भूमि का बंटवारा मनबट के आधार पर उनसे करा लिया और वादी एवं प्रतिवादी के पिता ने समस्त कृषि भूमि को तीन समान भागो में बांटकर 1/3 हिस्सा वादी को 1/3 हिस्सा मुझ प्रतिवादी को एवं 1/3 हिस्सा को रूस्तम के वारिसान

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

को बांट कर दे दिया तथा प्रतिवादी व वादी का पिता मुंशी मुझ प्रतिवादी के साथ रहने लग गया जिसकी सेवा में देखभाल उनके जीवन पर्यन्त प्रतिवादी करता रहा दिनांक 14/01/2004 को फौत हो चुके है । इस बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 281/0.43 हैक्टर में से वादी को 0.15 व मुझ प्रतिवादी को 0.28 हैक्टर रकबा मिला जिसमे से वतरफ पूरब दिशा में कृषि कार्य हेतु उत्तर की तरफ खुर्शीद प्रतिवादी व दक्षिण की तरफ सुब्बा वादी काश्त कर रहे है तथा वादी के हिस्से से लगता हुआ पश्चिम तरफ सुब्बा वादी का ही नोहरा व मकान बना हुआ है एवं प्रतिवादी के हिस्से से लगता हुआ पश्चिमी तरफ वादी का बचा हुआ हिस्सा है एवं खसरा नम्बर के पश्चिम दिशा में प्रतिवादी का मकान व नोहरा बना हुआ है जिसकी बगल में पूर्व दिशा में दक्षिण साईट में प्रतिवादी का पुख्ता कुंआ बना हुआ है तथा शेष आराजी में प्रतिवादी कृषि करता है इस कुंआ पर लगे हुये पम्प सैट व सिंचाई कनेक्शन से प्रतिवादी अपने हिस्से की इस आराजी व अन्य कृषि भूमि की सिंचाई करता है प्रतिवादी ने सन् 1996 में इस कुंआ को अपनी निजी लागत से बनवाया था जिस पर तभी से प्रतिवादी इंजन लगाकर सिंचाई कार्य चालू कर दिया और बिजली कनेक्शन हेतु अपने पिता के नाम से बिजली कनेक्शन की फाईल तैयार कराकर आवेदन कर दिया बिजली कनेक्शन प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के बाद स्वीकृत हुआ जब बिजली कनेक्शन की स्वीकृति प्रतिवादी के पास आई तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आप मेरी बिजली कनेक्शन को मेरे नाम करवा दो वादी ने मुझसे कई कागजो पर हस्ताक्षर कराये थे इन्होने मेरे द्वारा लगाये गये मेरी निजी कुंआ पर कृषि कनेक्शन में हैराफेरी कर गलत रूप से प्रतिवादी के बिजली कनेक्शन में अपना नाम भी जुडवा दिया जबकि वादी का प्रतिवादी के कुंआ से प्रतिवादी के हिस्से से तथा प्रतिवादी के बिजली कनेक्शन से कोई संबन्ध नहीं रहा है वादी ने यह दावा महज प्रतिवादी के कुंआ को हडपने की गरज से व उसके हिस्से की जमीन को हडपने की गरज से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। वादी , प्रतिवादी व हमारे मृत्तक रूस्तम के वारिसान के बीच हमारे पिता द्वारा किये गये बाहमी बंटवारे की बाबत एक विभाजन पत्र दिनांक 09/11/2005 को 100/–रूपये के कीमती स्टाम्प पर लिखा गया जो दिनांक 10/11/2005 को नोटरी पब्लिक कामाँ द्वारा श्री सतीशचन्द एडवोकेट की पहचान पर तस्दीक किया गया तथा इसके बाद बंटवारा प्रतिवादी द्वारा वादी सुब्बा, नबाब, श्याबू व अन्य कुटुम्बियों के खिलाफ एक दावा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के समक्ष विभाजन पेश किया गया जिसमें भी वादी द्वारा राजीनामा पेश किया गया और बाहमी बंटवारा एवं लिखे गये विभाजन पत्र को सही माना जो दिनांक 18/06/2006 को न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया तथा मुताबिक डिक्री इन्तकाल संख्या 719 बांके ग्राम चिनावडा के राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन किया गया जिसमें भी खसरा नम्बर 281 में से वादी ने अपना 0.15 एयर रकबा होना बताया है और आज भी मौके पर वह मुताबिक हिस्सा काबिज है। जिसका वादी के द्वारा निर्मित किये हुये पुख्ता कुंआ व बिजली कनेक्शन व हिस्से से कोई लेना देना नहीं है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा हर्जा खास प्रतिवादी को 5000/–रूपये वादी से दिलाये जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया कि आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.43 एयर बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी भूमि का कुर्रा वादी के कब्जे के आधार पर एवं 0.28 एयर भूमि का कुर्रा प्रतिवादी के पुराने कब्जे के आधार पर बनाया जाकर अलग–अलग बटे नम्बर से खातेदारी दर्ज की जावें जिसकी नक्शे में तरमीम हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 2 :– आया की विवादित कुंआ वादी व प्रतिवादी का संयुक्त है जिसका पृथक से नम्बर डालकर बराबर–बराबर खातेदारी दर्ज की जानी उपेक्षित है। .....वादी

तनकी संख्या 3 :– आया की वादी का वाद पूर्व न्याय से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। .....वादी

4:– दादरसी । .....प्रतिवादी

तनकी नं0 3 दिनांक 26/11/2012 को निर्णित की जा चुकी है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 जा0दी0 पेश किया गया । निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 :– आया आदेश 2 नियम 2 जा0दी0 के तहत दावा चलने योग्य नहीं है। क्योकि विनाय मुखास्मत की तारीख बदलने से मुखास्मत पैदा नहीं होती।

तनकी संख्या 2 :– आया यदि डिक्री की सही पालना हुई है तो इजराय की दरख्यास्त दस्ती न्यायालय में दी जानी चाहिए थी जिसमें डिक्री पारित की थी आदेश 21 नियम 98 , 100 , 101 के तहत वादी दावे में प्रार्थना पत्र को तय करने का अधिकारी था।

तनकी संख्या 3 :– आया कुर्रो से संबन्धित मामलो को सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को न होकर सिविल न्यायालय को है।

तनकी संख्या 4 :– आया वादी के खिलाफ विवंधन का सिद्धान्त आरिज होता है।

5 :– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 सुब्बा, के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर दिनांक 08/02/2022 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1 खुर्शीद ,डी0डब्लू 2 इलियास, के शपथ पत्र पेश किये अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटो प्रति विद्युत कनेक्शन डिमाण्ड नोटिस, विद्युत बिल, पेश किये । प्रतिवादी ने अपने जबाब दावा के समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटो प्रति विभाजन पत्र, नकल डिक्री व ऑर्डर सीट , नकल ऑर्डर सीट दिनांक 29/03/2022 , नकल दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा , नकल डिक्री नकल प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 जा0दी0 पेश किये।

बहस वकील फरीकेन सुनी। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि वादी प्रतिवादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है जो पूर्व में सम्मलित रहकर काश्त करते थे और जब सम्मलित रहकर काश्त करना सम्भव नहीं रहा तो वादी एवं प्रतिवादीगण को हमारे पिता ने अपने जीवन काल में ही अलग कर दिया था। पिता द्वारा किये गये मनबट बंटवारे के बाद मुताबिक कब्जे व काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा पेश किया जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारों की सहमति द्वारा दिनांक 28/06/2006 को डिक्री किया गया। बंटवारे में प्रतिवादी को उक्त खसरा नम्बर 372 को सम्मलित करते हुये प्रतिवादी को कुल 1.94 हैक्टर एवं वादी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

सुब्बा को 1.95 हैक्टर तथा तरतीवी प्रतिवादीगण जो प्रतिवादी के बडे भाई रूस्तम की संतान है को 1.94 हैक्टर रकबा मिला और न्यायालय के आदेशानुसार इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया था। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 281/0.43 में से 281/1/0.15 वादी की एवं 281/0.28 प्रतिवादीगण की आराजी है। वादी द्वारा स्वयं सहमति दी गई थी। अगर फिर भी कोई आपत्ति थी। तो वादी को दिनांक 28/06/2006 की डिक्री के विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी। वादी का दावा सी0पी0सी0 की धारा 11 से बाधित है। दिनांक 28/06/2006 की डिक्री में कुएँ के संबंध में भी कोई वर्णन नहीं है। अतः खारिज योग्य है।

वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया कि आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.43 एयर बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी भूमि का कुर्रा वादी के कब्जे के आधार पर एवं 0.28 एयर भूमि का कुर्रा प्रतिवादी के पुराने कब्जे के आधार पर बनाया जाकर अलग–अलग बटे नम्बर से खातेदारी दर्ज की जावें जिसकी नक्शे में तरमीम हो।

तनकी संख्या 2 :– आया की विवादित कुंआ वादी व प्रतिवादी का संयुक्त है जिसका पृथक से नम्बर डालकर बराबर–बराबर खातेदारी दर्ज की जानी उपेक्षित है।

उक्त तनकीया समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.43 एयर बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी भूमि का कुर्रा वादी के कब्जे के आधार पर एवं 0.28 एयर भूमि का कुर्रा प्रतिवादी के पुराने कब्जे के आधार पर बनाया जाकर अलग–अलग बटे नम्बर से खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। एवं इसी भूमि में कुएँ का प्रथक विभाजन चाहा गया है। परन्तु आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.43 का विभाजन इस न्यायालय द्वारा डिकी दिनांक 28.06.2006 में सहमति के आधार पर किया जा चुका है। वादी द्वारा स्वयं सहमति दी गई थी। जिसकी वादी द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। पुनः विभाजन किया जाना संभव नहीं है। वादी को कोई भी अनुतोष अपील के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते है। अतः उक्त तनकीया विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया की वादी का वाद पूर्व न्याय से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

उक्त तनकी दिनांक 26/11/2012 को निर्णित की जा चुकी है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 जा0दी0 पर निर्मित तनकियों का विवेचन प्रथक से किये जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मूल तनकियां वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है। वादी अपने दावा को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः इन तनकियों का विवेचन आवश्यक नहीं है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner